115

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प. 6(10)राज-6/99/2 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 2001

:- अधिसूचना -:

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 02 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 5(10)(राज-6/60) दिनांक 20.7.1963 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

1. खण्ड 1 में विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि ऐसी भूमि, जो किसी भी स्त्रोत द्वारा सिंचित है या जो लोक मार्ग, चरागाह, ओरण, जोहड़ पायतन, नदी या तालाब तल, गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में अभिलिखित है, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आवंटित नहीं की जायेगी।"

2. विद्यमान खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(2) आवंटित किया जाने वाला अधिकतम क्षेत्र :- अपेक्षाओं के अध्यधीन रहते हुए, आवंटित किया जाने वाला अधिकतम क्षेत्र नीचे दर्शायें अनुसार होगा :-

(क) प्राथमिक विद्यालय/राजकीय गांधी पाठशाला	2 एकड़ (होस्टल भवनों, खेल के मैदान आदि को सम्मिलित करते हुए)
(ख) मिडिल स्कूल	5 एकड़ (होस्टल भवनों, खेल के मैदान आदि को सम्मिलित करते हुए)
(ग) माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय/बी.एड. डी.सी. विद्यालय	10 एकड़ (होस्टल भवनों, खेल के मैदान एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए आवास गृहों को सम्मिलित करते हुए)

क्रमशः....2 पर

§च§ डिग्री और स्नातकोत्तर महाविद्यालय	30 एकड़§ होस्टल भवनों, खेल के मैदान और शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए §
§ड§ केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रबंधित केन्द्रीय विद्यालय	15 एकड़§होस्टल भवनों, खेल के मैदान और शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए §
§च§ नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा प्रबंधित नवोदय विद्यालय	30 एकड़ § होस्टल भवनों, खेल के मैदान और शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए §
§छ§ सरकारी होस्टल	2एकड़§ खेल के मैदान को सम्मिलित करते हुए §
§ज§ पंचायत घर	एक एकड़
§झ§ लोकोपयोगी भवन	एक एकड़
§ञ§ आयुर्वेद, चिकित्सा और पशुपालन विभाग के अन्तरंग सुविधाओं से रहित औषधालय/उपकेन्द्र ।	1.5 एकड़§कर्मचारियों के आवास गृहों को सम्मिलित करते हुए §
§ट§ तहसील और जिला स्तरीय अंतरंग सुविधाओं वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल.	5 एकड़§ कर्मचारियों के आवास गृह, मेडिकल दुकाने, यान खडा करने की जगह को सम्मिलित करते हुए §
§ठ§ सरकारी कार्यालय भवन	2 एकड़
§ड§ गिरदावर/पटवार घर	0.5 एकड़
§ढ§ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थान .	0.5 एकड़

क्रमशः...3 पर

113

3. खण्ड 3 में, उपखण्ड § V § के पश्चात और उप-खण्ड § vi § से पूर्व नया उप-खण्ड § V -क § अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"§ V -क§ जैसे ही आवंटन का कोई ओदेश पारित किया जाये आवंटन प्राधिकारी तहसीलदार को सूचना देते हुए पटवारी को आवंटित भूमि का आवंटिती को भौतिक कब्जा तुरन्त प्रभाव से सौंपने के लिए निर्देश देगा और तत्पश्चात राजस्व अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जायेंगी।"

4. विद्यमान खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"4 आवंटन प्राधिकारी - इस आदेश के अधीन,

§i§ खण्ड 2 के उप-खण्ड §क§, §ख§, §ज§, §त्र§, §ठ§ और §ड§ में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अधिकतम विहित क्षेत्र तक आवंटन अधिकारिता रखने वाले उप-खण्ड अधिकारी द्वारा ,

§ii§ खण्ड 2 के उप-खण्ड §ख§, §ग§, §ड§ और §ट§ में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अधिकतम विहित क्षेत्र तक आवंटन अधिकारिता रखने वाले कलक्टर द्वारा ;

§iii§ खण्ड 2 के उप-खण्ड §घ§ और §च§ में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अधिकतम विहित क्षेत्र तक आवंटन अधिकारिता रखने वाले आयुक्त, द्वारा,

§iv§ खण्ड 2 के उप-खण्ड §झ§ और §ढ§ में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए आवंटन राज्य सरकार द्वारा ,

किया जायेगा ।

परन्तु किसी सरकारी विभाग या संस्थान या किसी स्थानीय निकाय या किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड से भिन्न कोई भी आवंटन राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

परन्तु यह और कि खण्ड-2 के अधीन के किन्हीं भीप्रयोजनों के लिए विहित अधिकतम क्षेत्र से अधिक की भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।" ।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव